



सं./No. 1/12/2014- VS (CRS)

भारतसरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृहमंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्णपुरम्, नईदिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block -I, R.K. Puram, New Delhi - 110066

Tel- 26177330, Fax: 26104012, E-mail - rkgautamiss.rgi@nic.in

Dated: 31-07-2015

**CIRCULAR**

**Sub: Opening of Registration unit/center in Government Hospitals.**

Reference has been made to the inspections undertaken by the team of officers from this office wherein it has come to the notice that in many States Non-Government Hospitals are also functioning as the registration units under Civil Registration System which is not correct and is the violation of provisions under Section 26 of the RBD Act, 1969 wherein it is mentioned that '**Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants**' **within the meaning of Indian Penal Code** i.e. only public servant could be appointed as Registrar or Sub Registrar, any employee of private hospital or Nursing home is not authorized to work as Registrar or Sub registrar and could not be permitted to register any birth / death event and issue the certificates thereof. In this connection, provision of section 26 of the RBD Act is reproduced below for your reference:

**Section 26. Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants**—All Registrars and Sub-Registrars shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

2. In view of the above, you are requested to review the status of institutional registration units and take immediate action if any Private hospital is functioning as registration unit, their order should be immediately withdrawn and direct the in-charge of the said hospital to report all the events occurred in their premises to the concerned Registrar in whose jurisdictional area the hospital/nursing home situated. It is also suggested that all the records for which certificates have already been issued by the said hospital administration must be taken under custody of the concerned registrar and fresh certificates to the general public must be issued to avoid any difficulty to the public in future. The compliance/status report in this regard may be sent to this office on priority basis.

  
(R.K. Gautam)  
Deputy Registrar General

To

1. The Chief Registrar of Births & Deaths of all States/UTs
2. The Directorate of Census operations with the request to take up the matter with the Chief Registrar.



प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/  
"Ensure Registration of Every Birth and Death"



सं. 1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-28177330, फेक्स: 26104012, ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 31.07.2015


### परिपत्र

**विषय: सरकारी हस्पतालों में पंजीकरण इकाई/केन्द्र खोलना ।**

इस कार्यालय के अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान पाया गया है कि अनेक राज्यों में गैर-सरकारी हस्पताल भी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकरण इकाईयों के रूप में कार्य कर रहे हैं जो कि उचित नहीं हैं और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 26 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें कि यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अर्थ में रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार लोक सेवक माने गए हैं अर्थात् केवल लोक सेवक को ही रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है, निजी हस्पताल अथवा नर्सिंग होम का कोई कर्मचारी रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है और उसे किसी जन्म/मृत्यु की घटना को पंजीकृत करने और उसके पश्चात प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में, आरबीडी अधिनियम की धारा 26 का प्रावधान सुलभ संदर्भ के लिए पुनः नीचे दिये जा रहे हैं ।

**धारा 26. रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार लोक सेवक माने जाएंगे-** सभी रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, जब वे इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करते तात्पर्यित हों भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

2. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि आप संस्थागत पंजीकरण इकाईयों की स्थिति की समीक्षा करें और यदि कोई निजी हस्पताल पंजीकरण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है तो उनके आदेश तत्काल वापस लें और उक्त हस्पताल के प्रभारी को निदेश दें कि उनके परिसरों में होने वाली सभी घटनाओं की रिपोर्ट संबंधित रजिस्ट्रार को दें जिसके आधिकारिक क्षेत्र में हस्पताल/नर्सिंग होम स्थित है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि सभी रिकार्ड, जिसके लिए उक्त हस्पताल पहले से प्रमाणपत्र जारी कर चुके हैं, संबंधित रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में लिए जाएं और जन-सामान्य को नए प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएं ताकि जनता को भविष्य में कोई कठिनाई न आए। इस संबंध में अनुपालन/स्थिति रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को भेजें।



(आर.के.गौतम)

उप महारजिस्ट्रार

सेवा में

1. सभी राज्य/संघराज्य क्षेत्र के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।
2. जनगणना कार्य निदेशालयों को इस अनुरोध के साथ कि इस मामले को मुख्य रजिस्ट्रारों के समक्ष उठाएं।